प्रकरण संख्या : 75/2024
राजसिंह बनाम राज. सरकार
निर्णय दिनांक : 14.05.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम : मूलचन्द लूणिया, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 75/2024
दायर दिनांक : 18.12.2024
निर्णय दिनांक : 14.05.2025

1. राजसिंह पुत्र हंसराज उर्फ हंसा जाति गुर्जर, निवासी ग्राम राजपुरा तहसील व जिला दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
2. तहसीलदार दौसा जिला दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम राजपुरा तहसील दौसा की राजस्व सीमा में आराज़ी खसरा नम्बर 102, 103, 25 लगायत 32, 56, 57, 70, 74 कुल किता 14 कुल रकबा 9.54 है. स्थित है, जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम हिस्सा 1/21 व अन्य सहखातेदारान के नाम जमाबन्दी में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम राजसिंह पुत्र हंसराज उर्फ हंसा गुर्जर है किन्तु राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम रामसिंह पुत्र हंसराज गलत एवं अशुद्ध अंकन कर दिया गया है। प्रार्थी के सभी रिकॉर्डेड दस्तावेजात् यथा आधार कार्ड, निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, बैंक पासबुक, जनआधार, पैन कार्ड, राशन कार्ड, कक्षा 10वीं की अंकतालिका इत्यादि में प्रार्थी का वास्तविक नाम राजसिंह पुत्र हंसराज उर्फ हंसा अंकित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आदि में प्रार्थी का जो नाम रामसिंह पुत्र हंसराज अशुद्ध दर्ज हो रहा है उसे दुरुस्त फरमाते हुए रामसिंह के स्थान पर राजसिंह पुत्र हंसराज उर्फ हंसा अंकित करते हुए इसी कदर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार दौसा ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रश्नगत आराजी में प्रार्थी का हि. 1/21 व अन्य सहखातेदारों का हिस्सा जमाबन्दी में दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम राजपुरा में रामसिंह पुत्र हंसराज जाति गुर्जर [illegible] जाति गुर्जर नाम से एक ही व्यक्ति है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रश्नगत आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम रामसिंह पुत्र हंसराज के स्थान पर राजसिंह पुत्र हंसराज उर्फ हंसा अंकित करवाना चाहता है। तहसीलदार दौसा ने अपने जवाब में कथन किया है कि ग्राम राजपुरा में रामसिंह पुत्र हंसराज जाति गुर्जर व राजसिंह पुत्र हंसराज जाति गुर्जर नाम से एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:42:37 IST
Reason: SelfAttested

अन्तर्गत धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम राजपुरा तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 102, 103, 25 लगायत 32, 56, 57, 70, 74 कुल किता 14 कुल रकबा 9.54 है. के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम "रामसिंह पुत्र हंसराज" के स्थान पर "राजसिंह पुत्र हंसराज" अंकित किया जावे। तहसीलदार दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:42:37 IST
Reason: SelfAttested